प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दुष्कर्म के अभियोग में 02 अभियुक्तों को हुई 20-20 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 54,000/- रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः-10.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 10.09.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में विचारण पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवम् प्रत्येक को 54,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 667/11 धारा 376(छ)/342/506 भादवि बनाम 1.अशोक सिंह उर्फ छोटे सिंह पुत्र सोमपाल सिंह निवासी इमलिया सरांय भार थाना रामकोट जनपद सीतापुर 2.उपेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व0 चन्द्रभाल वर्मा निवासी कृष्णानगर चुंगी थाना कोतवाली नगर सीतापुर में कोतवाली नगर/रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 10.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नवसृजित न्यायालय पाक्सो एक्ट एवं बलात्संग मामले, कक्ष संख्या 15 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों 1.अशोक सिंह उर्फ छोटे सिंह 2. उपेन्द्र कुमार वर्मा प्रत्येक को अन्तर्गत धारा 376(छ) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 342 भा.द.वि में 01 वर्ष कारावास व 1,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 506 भा.द.वि में 07 वर्ष कारावास एवं 3,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।